

## विचार बिन्दु

पराधीन को जिन्दा कहें, तो मुर्दा कौन है। -हितोपदेश

## स्वतंत्रता बनाम गिरफ्तारी

लिबर्टी (स्वतंत्रता) शब्द लैटिन शब्द 'लिबर' से उत्पन्न होना माना गया है। इस शब्द का अर्थ है- बन्धनों से मुक्ति। दण्ड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) में पुलिस को यह अधिकार है कि वह अभियुक्त को अर्थात् जिस व्यक्ति ने तथाकथित अपराध किया है ऐसी शिकायत होने अथवा अपराध उसकी जानकारी में आया है तो वह व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तारी का अर्थ है मानव की स्वतंत्रता (Liberty) में दखल देना। संविधान के विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक 'हमारा संविधान' में शब्द स्वतंत्रता को समझाते हुये कहा है कि "स्वतंत्रता का शाब्दिक अर्थ होगा, बंधन मुक्ति, कारा मुक्ति, दासता मुक्ति, कृषि दासता से मुक्ति या निरंकुशता से मुक्ति"। विचार, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की जिस रूप में व्याख्या संविधान के मूल अधिकारों वाले भाग में की गई है, विनियमन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे राज्य, लोक हित आदि की सुरक्षा खतरों में न पड़ जावे।

स्वतंत्रता (Liberty) का अधिकार संवैधानिक अधिकार है और कानूनानुसार गिरफ्तारी होती है जब सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तारी के 24 घण्टे में आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना आवश्यक प्रक्रिया है। संविधान का अनुच्छेद 21 गारन्टी देता है कि किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन अथवा वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जायेगा। यहाँ निम्नलिखित मामलों में स्वतंत्रता के अधिकार को मान्य माना है:-

- 1) कर्जा अदा न कर पाने पर व्यक्ति को कारावास नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करने के समान माना है। सुप्रीम कोर्ट ने जॉली जार्ज बनाम बैंक ऑफ कोचीन के केस में यह माना है कि नागरिक दायित्व (Civil Liability) के कारण किसी को कारावास में नहीं डाला जा सकता।
- 2) जीवन शब्द कारावास में शारीरिक अवरोध या परिरोध तक की सीमित नहीं है, बल्कि पशु जैसे अस्तित्व से कहीं ज्यादा महत्व है।
- 3) अविनाशक निर्णय व्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है।
- 4) हत्या के मामले युक्तियुक्त आधार के बिना जमानत स्वीकार करने से इन्कार करना वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित करने के तुल्य होगा।
- 5) हथकड़ी लगाने की अनुमति विशेष परिस्थितियों में ही दी जा सकती है। यह वैयक्तिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है।
- 6) बिना आरोप लगाये व मुकदमा चलाये किसी व्यक्ति को कारावास में नहीं रखा जा सकता। यह भी वैयक्तिक स्वतंत्रता का एक उदाहरण है।

ऐसे कई प्रसंग मौजूद हैं जिसमें वैयक्तिक स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया है।

प्रत्येक गम्भीर केस में जमानत का प्रश्न उत्पन्न होता है। कोर्ट्स की कांज लिस्ट जमानत की एन्टीकेशन्स से भरी रहती है। जमानत का प्रश्न इज्जत का मामला है। यही फौजदारी केसेज के मामलों में प्रधान रूप से विलम्ब का प्रश्न है। यह विलम्ब ट्रायल कोर्ट, सेशन्स कोर्ट और हाईकोर्ट तक चलता रहता है। Liberty (स्वतंत्रता) और गिरफ्तारी का प्रश्न एक दूसरे के विरुद्ध है। कोर्ट्स भी बहुत समय बहस सुनने में और निर्णयों में लगा देती हैं यहाँ तक देखा गया है कि बेल के आदेश भी त्वेमतअम किये जाते हैं।

हमारा आपराधिक कानून व उसकी प्रक्रिया बहुत पुरानी है, कई संशोधन हुये हैं फिर भी विलम्ब को रोकना कठिन बना हुआ है। एक्ट नं. 25 से सन् 2006 में एक संशोधन लाया गया था कि 7 वर्ष व अधिक की सजा के मामलों को छोड़कर जमानत ली जावेगी। किन्तु यह संशोधन लागू ही नहीं हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जमानत के मामलों में विलम्ब को लेकर कई तीखी टिप्पणी भी कर चुका है। कुछ दिन पूर्व दिनांक 11.07.2022 को सत्येन्द्र कुमार अन्तिल बनाम सेन्टर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के एक केस में सर्वोच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के न्यायाधीश सन्जय किशन कौल व न्यायाधीश एम.एम. सुन्दरेश पीठ के समक्ष ऐसी ही परिस्थितियों का केस सुनवाई में आया। माननीय खण्डपीठ ने केन्द्रीय सरकार को सिफारिश की है वह शीघ्र ही जमानत के मामलों के लिये एक विशिष्ट कानून Bail Act बनाये ताकि जमानत के मामले शीघ्र से शीघ्र निपटारे जा सकें। माननीय खण्डपीठ ने बहस के समय सभी पक्षों का ध्यान आकर्षित करते हुये कहा कि यू.के. में Bail Act है, उसका अध्ययन कर कानून बनाया जावे। माननीय पीठ के न्यायाधीशों ने गिरफ्तारी के लिये प्रक्रिया के बाबत कुछ सुझाव भी दिये तथा जमानत के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने की समय सीमा भी निर्धारित की।

हमारा आपराधिक कानून व उसकी प्रक्रिया बहुत पुरानी है, कई संशोधन हुये हैं फिर भी विलम्ब को रोकना कठिन बना हुआ है। एक्ट नं. 25 से सन् 2006 में एक संशोधन लाया गया था कि 7 वर्ष व अधिक की सजा के मामलों को छोड़कर जमानत ली जावेगी। किन्तु यह संशोधन लागू ही नहीं हुआ है।

सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने यू.के. के Bail Act का उल्लेख करते हुये स्पष्ट किया कि Bail Act एक Comprehensive अधिनियम में इस परिस्थिति की ओर भी ध्यान दिया गया कि Under Trial Prisoners से देश के कारावास भरे हुये हैं तथा वारन्ट जारी करने संबंधित अनेक प्रकरण लम्बित हैं। जमानत के प्रार्थना पत्र पर आदेश देते

समय चाहे वह सजा से पूर्व अथवा बाद का केस हो, चाहे जांच अधिकारी के अधिकारों से संबंध रखता हो अथवा कोर्ट के अधिकारों के बाबत हो, अथवा जमानत के आदेश की कण्ट्रोल को भंग करने बाबत हो, स्वयं में जमानत के अधिकार को इन्कार करने हेतु पर्याप्त नहीं है। जमानत किन स्थिति में ली जा सकती है, इसे अनुसूची में बताया गया है। माननीय पीठ ने उक्त बातों का विश्लेषण करते हुये कहा कि विशेष कानून जो देश में बनाया जावेगा उसमें यह बंध शामिल किया जावेगा। नया स्पेशियल कानून केन्द्रीय सरकार को बनाना चाहिये क्योंकि हमारा कानून कई संशोधनों के बाद भी स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध है। अतः भारत सरकार को Bail Act नये रूप में शीघ्र लाना चाहिये और नये सुझावों को लागू करना होगा। माननीय खण्डपीठ ने न्यायाधीशों ने निम्नलिखित कुछ निर्देशों को लागू करने के सुझाव दिये हैं:-

- 1) भारत सरकार Special Bail Act लेकर आवेगी, ताकि देश के नागरिकों की Liberty की रक्षा की जा सके और जमानत ली जाने में जो बाधाएँ आती हैं और विलम्ब होता है, उससे आरोपी को मुक्ति मिल सके।
- 2) माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि अपराध प्रक्रिया संहिता की धाराएँ 41 व 41ए की निष्ठा के साथ पालना की जावेगी साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में भी अर्नेश कुमार के केस में जो निर्देश दिये हैं उनकी पालना की जावेगी।
- 3) न्यायालयों को स्वयं इस बाबत सन्तोष होना चाहिये कि उन्होंने धारा 41 व 41ए Cr.P.C. की पालना की है यदि नहीं तो आरोपी को जमानत दी जानी चाहिये।
- 4) धारा 88, 170, 204 व 209 Cr.P.C. के प्रार्थना पत्रों की सुनवाई के समय Bail के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु Insistence नहीं करना चाहिये।
- 5) सिद्धार्थ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिये हैं उनकी कठोरता से पालना की जानी चाहिये जहाँ पर उल्लेख किया है कि चार्जशीट दाखिल करते समय सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करना आवश्यक नहीं है।
- 6) स्टेट व केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य होना चाहिये कि वे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना करेंगे जहाँ Special Courts के गठन का प्रश्न है वहाँ पर स्पेशियल कोर्ट के Presiding Officer की नियुक्ति शीघ्र से शीघ्र की जावेगी।
- 7) Under Trial Prisoners जो जमानत की कंडीशन की पालना करने में असमर्थ रहे हैं उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा चिन्हित करना चाहिये और धारा 440 Cr.P.C. के तहत आरोपी के Release की व्यवस्था होनी चाहिये।
- 8) जामिनों की आवश्यकता पर Insist करते समय धारा 440 Cr.P.C. की मर्यादा की पालना ध्यान में रहे।
- 9) धारा 436ए Cr.P.C. के Mandatory प्रावधानों की डिस्टिक्ट लेवल व हाईकोर्ट लेवल पर पालना करना आवश्यक है।
- 10) जमानत के प्रार्थना पत्रों का निस्तारण 2 सप्ताह में पूरा किया जावेगा अपवाद वहाँ होगा जहाँ प्रावधान में Mandate दूसरे रूप में हो।
- 11) स्टेट गवर्नमेंट तथा हाईकोर्ट्स इस बाबत शपथ पत्र या स्टेट्स रिपोर्ट 4 माह की अवधि में प्रस्तुत करेंगे।
- 12) जमानत व एन्टीसिपेटरी बेल के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के हेतु समय सीमा निर्धारित हो। विलम्ब के लिये दोषी जाने पर उचित दण्ड का प्रावधान हो। समय सीमा क्या होनी चाहिये उस ओर भी इंगित किया है।

Liberty का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, उसे युक्तियुक्त व गम्भीर परिस्थिति में ही अपवाद बनाकर जमानत ली जा सकती है। मोहम्मद जुबैर के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पुनः स्पष्ट कर दिया है कि गिरफ्तारी के अधिकार का प्रयोग अत्यन्त कंजूसी के साथ होना चाहिये और साधारण (Minor) मामलों में व हेट स्पीच के मामलों में जब तक यह मानने के पर्याप्त आधार न हो कि इसके कारण पब्लिक ऑर्डर भंग होगा, तत्काल जमानत ली जावे। माननीय कोर्ट ने यह भी इंगित कर दिया है कि पत्रकार के Tweet के अधिकार पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जमानत पर छोड़ा जावे अथवा नहीं इसका निर्णय चार्ज सुनाने समय पर ही होना चाहिये। इस प्रकार सीआरपीसी में संशोधन हो अथवा Bail का स्पेशियल अधिनियम बनाया जावे। नया बेल का कानून उपरोक्त परिस्थितियों की पृष्ठभूमि बनाया जावे। त्वरित न्याय मिले यह भी अनुच्छेद 21 के तहत न्याय का सिद्धान्त है। इस हेतु जमानत के नये कानून में उचित प्रावधान होने चाहिये। केन्द्र सरकार को जो निर्देश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं या दिये जावें राज्य की न्याय प्रिय जनता माननीय हाईकोर्ट से अपेक्षा व याचना करती है कि उक्त आदेशों की जानकारी पुलिस व Lower Courts को भेजी जावे और उनकी शीघ्रता से पालना हो ताकि लोगों को सस्ता, सुलभ व त्वरित न्याय मिल सके।

सत्यमेव जयते!

-अतिथि सम्पादक

पानाचन्द जैन,

पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

## श्रावणी तीज के अवसर पर विशेष

## आज शहर में उछब तीज को घिर आयो छै मह

लोक कथा है कि श्रावण शुक्ला तृतीया के दिन भगवान शिव अपनी अर्द्धांगिणी पार्वती को उसके पीहर से ले जाकर तृतीया की पूजा करते थे। इसीलिये सुहागन स्त्रियों इस दिन ब्रत रखती हैं तथा तीज माता से अपने सौभाग्य की कामना करती हैं।

राजस्थान जैसे मरुप्रदेश में तीज के त्यौहार का विशेष महत्व है। वर्षा हो जाने पर ग्राम वधुएं और बालाएं हंसती, गाती, इठलाती और टिठोली करती झुला झुलाती हैं और आपस में एक दूसरे के प्रियतम का नाम पूछती हैं। न बताने व आनाकानी करने पर हरे पेड़ की डाली से मीठी मार भी पड़ती है, जिससे वराना का सोहेलियों का आग्रह मानना ही पड़ता है। ऐसे सुहावने मौसम में जिनके प्रियतम घर से दूर हो तो उनकी याद आना स्वाभाविक है-

“सावन रिम झिम रिम झिम बोरसे रे।  
सासुरी जा जाया थारी ओल्लू आवेरे।”

राजस्थान के योद्धा, व्यापारी और श्रमिक प्रायः अपने घर व प्रदेश से दूर भी जाते रहें हैं। श्रावण मास में अथवा तीज के त्यौहार पर उनके घर आने की प्रतीक्षा रहती है। ऐसे मौसम में जब बादल गर्ज रहे हो, बिजली चमक रही हो और रिम झिम फुहारें पड़ रही हो तो विरहणी की दशा का वर्णन करना कठिन है।


## जिला अस्पताल की एएनएम की सेवाओं को प्रधानमंत्री ने सराहा

हिण्डौन सिटी, (का.सं.)। स्थानीय जिला अस्पताल के मातृ एवं शिशु इकाई में कार्यरत एएनएम (ऑंजिलरी नर्स मिडवाइफरी) रीना चौधरी की सेवाओं की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सराहना की है।

एएनएम रीना चौधरी ने बताया कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से प्रेषित एक पत्र मिला है, जिसमें कोरोना काल में आमजन को दी गई उनकी सेवाओं की सराहना की गई है। एएनएम रीना

कोरोना काल में आमजन को दी गई उनकी सेवाओं की सराहना की

चौधरी ने कोरोना काल में कोविड टीकाकरण का कार्य किया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रीना चौधरी को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि उनकी सक्रिय



देवीसिंह नरुका

है। तीज गति से चमकती बिजली पर तो उसे विश्वास नहीं है कि वह उस पर दया करेगी किन्तु बादलों से निवेदन करती है कि वह तो इतनी जोर से गर्जन कर उसे नहीं डरायें-

“बीजलियां निलजिज्यां, जलहर तूही लज्जा।  
सूनी सेज विदेश पिय, मधुरई मधुरई गज्जज।”

राजस्थानी काव्य 'दोला मारू' की नायिका मारू अथवा मरवण तो कहती है कि यदि कज्जली तीज के अवसर पर उसके दोला! (पति) नहीं आये तो वह चमकती हुई बिजली के डर से ही मर जायेगी -  
“जई तू दोला न आवियउं,

काजलिया री तीजा।  
चमक मरेसी मारवी, देख खिबंता बीजा।”

सावन के सुरंगे मौसम में प्रेयसी प्रियतम से अनुरोध करती हैं कि इस ऋतु में वह प्रदेश नहीं जावे किन्तु महलों में ही रहकर विश्राम करें -

“साइणा सुजान दोला म्हांके म्हेलां आवोसा,  
बरखा लूमै छै झरोखां रम जावोसा,  
इण ऋतु मं परदेसां मत जाओसा,  
गुणरा निधान दोला, म्हांके म्हेलां आओसा।”

सावन में वर्षा से पूरा वातावरण तो हरा हो गया किन्तु प्रियतम के बिना प्रिय का मन हरा नहीं हुआ -

“सावन आयो सायबा हरिया हो गया बना।  
हरियो हुयो न एकलो ध्यारी धण रो मन्ना।”

सावन के सुहावने मौसम में प्रियतमा प्रिय से अनुरोध करती है कि वे अच्छे रंग की पाग व साफा बांधकर बिराजें और घोड़ो को हरा चारा चरने दे जिससे वह भी तगड़े हो जावें-

“सावन आयो सायबा जी कोई बांधो पाग सुरंग।  
घर बैदयां खुशियां करो जी कोई हरिया चरै तुरंग।”

वर्षा काल में जब तीज का त्यौहार आ गया है और लोग उत्सव मना रहे हैं तब प्रेयसी असमंजस में है कि यदि प्रिय से मिलने जाती है तो वर्षा से उसकी खूबसूरत चूंदड़ी भोग जायेगी और यदि नहीं जाती है तो प्रेम में दरार पड़ जावेगी-

“आज शहर में उछब तीजको, झुक आयो छै मेहा।  
जाऊं तो भीजै म्हारी सुरंग चूंदडी, रहुं छूं तो टूटे छै सनेहा।”  
चाहे कोई वार हो या त्यौहार हो अथवा कैसा भी मौसम हो जब

मेघ गर्जन कर रहे है, बिजलियां चमक रही है और वर्षा का पानी परनालों से बह रहा है, परनालों का पानी जब गढ़ की दीवार पर पड़ता है तो महल में सोई हुई विरहणी चौंक कर बार-बार यह समझकर उठ जाती है कि शायद यह उसके प्रिय के आने की पदचाप है-

“परनाला पाणी पड़े, भीजे गड्ड की भीत।  
सूती मरवण ओझके मारू आया चीता।”

ऐसे वर्षा काल में जब पूरा वातावरण ही सुखमय हो गया है तब प्रिय के प्रेम की फुहारों से प्रिया का तन-मन भी विभोर हो गया है-

“बूंदी चमके बिजली, कोटे बरसे मेहा।  
छांटा लागै प्रेमका, भीजे सारी देहा।”

वर्षा काल में जब तीज का त्यौहार आ गया है और लोग उत्सव मना रहे हैं तब प्रेयसी असमंजस में है कि यदि प्रिय से मिलने जाती है तो वर्षा से उसकी खूबसूरत चूंदड़ी भोग जायेगी और यदि नहीं जाती है तो प्रेम में दरार पड़ जावेगी-

“आज शहर में उछब तीजको, झुक आयो छै मेहा।  
जाऊं तो भीजै म्हारी सुरंग चूंदडी, रहुं छूं तो टूटे छै सनेहा।”  
चाहे कोई वार हो या त्यौहार हो अथवा कैसा भी मौसम हो जब

कर्मव्यपरायण व्यक्ति को अपने काम पर निर्धारित अवधि के बाद जाना हो तो कोई बंधन आड़े नहीं आते-

“सज्जन सिपाही हे सखी, कदे न पाले नेह।  
रात बरसे दिन उठ चले, आंधी गिणो न मेहा।”  
किन्तु वर्ष काल में विरहणी अपनी व्यथा कैसे समझाये, वह तो अनुनय विनय करती है कि या तो उसे साथ ले जायें और यह संभव न हो तो उसे काटकर दो टुकड़े कर दें-

“साजन चाल्या चाकरी, कांधे धरी बंदूक।  
कै तो सागे ले चलौ कै कर दो दो टुक।”  
सावन के मौसम में जब सब झुला झुलते हुए मौज मस्ती मना रहे हैं। तो आराध्यदेव भगवान श्रीकृष्ण को भी इससे वंचित क्यों रखा जावे। राजस्थानी लोकगीतों में झूलोत्सव के भी अनेक गीत हैं जो इन उत्सवों में और मंदिरों में गाये जाते हैं।

“रेशम की डोर जड़ाव की पाटी जी।  
झूलो डार्यों कदम की डार आवो झूलो नंदलाल।  
कुंज हिंडोरे झूलण पधारों स्वामी श्री गोपाल।”

देवीसिंह नरुका,  
वरिष्ठ लेखक व पत्रकार

## नगरपालिका की टीम को देखकर पॉलिथीन विक्रेता भागा

खैरथल, (निंसां)। प्रतिबन्धित सिंगल यूज पॉलिथीन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में गुरुवार को एक ही दुकानदार के यहाँ से 155 किलो पॉलिथीन जप्त की गई। नगरपालिका के अधिशाषी अधिकारी पवन कुमार शर्मा ने बताया कि गुरुवार की सुबह नगरपालिका की टीम पॉलिथीन के खिलाफ कार्यवाही करने में मार्केट में



दुकान पर पॉलिथिन बरामदगी की कार्रवाई करते अधिकारी

प्रसाशन ने एक दुकान से डेढ तिखल थैली जबा की

लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास पहुंचे एक ही दुकानदार पॉलिथीन बेचते हुए मिला।  
टीम ने जैसे ही कार्रवाई करनी चाही दुकानदार ताला लगाकर भाग छूटा। जिस पर नगरपालिका द्वारा पुलिस बल बुलाकर दुकान को सीज कर दिया। उसके बाद राजस्थान प्रदूषण मंडल अलवर को कार्यवाही के लिए सूचित

किया। शाम को प्रदूषण मंडल के अधिकारी यशपाल मीणा की अगुवाई में दुकानदार रामकिशन खण्डेलवाल को दुकान की सील तोड़कर 155 किलो पॉलिथीन जप्त की गई। इस मामले में आगे की कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को लिखा गया है। इस दौरान भारी मात्रा में तमाशबीन एकत्रित हो गए। कार्यवाही में टीम प्रभारी सुबेसिंह

यादव, भवानी सिंह, तरुण कुमार चौधरी आदि नगरपालिका टीम के कर्मचारी शामिल रहे। कार्यवाही की जानकारी मिलने पर सभी बाजारों में दुकानदारों ने पॉलिथीन की थैलियों सहित सिंगल यूज प्लास्टिक के डिस्पोजल आदि को छुपाना शुरू कर दिया जबकि विक्रेता दुकानों को बन्द कर ईश्वर -उधर हो गये।

## हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही से स्कूल बना तालाब

भीलवाड़ा, (निंसां)। जिले के शाहपुरा का कुंडगोट सिनीयर स्कूल परिसर गुरुवार को तलैया बन गया। स्कूल के पिछवाड़े में बन रही कालोनी में हाउसिंग बोर्ड प्रशासन की लापरवाही के चलते ऐसा हुआ है। प्रधानाध्यापक देवीलाल बैरवा का आरोप है कि हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने स्कूल परिसर से थोक क्लनने वाले बारिश के पानी के रास्ते को बाधित कर रोड का निर्माण कर लिया है जिससे अब पानी की निकासी अवरूद्ध हो गयी है। परिसर में पानी भरा रहने से पिछले कई बरसों से हरित पाटशाहा



शाहपुरा का कुंडगोट सिनीयर स्कूल जिसके परिसर में पानी भरा है।

हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने स्कूल परिसर से निकलने वाले बारिश के पानी का रास्ता रोका

अभियान के तहत लगाये गये सैकड़ों औषधीय पौधों को नुकसान पहुंच रहा है। कुंडगोट स्कूल के

प्रधानाध्यापक देवीलाल बैरवा ने बताया कि हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों को पूर्व में ही इस समस्या से अवगत कराने के बाद भी जानबूझ कर पानी की निकासी को रोक वहां से रोड निकाल दिया। पानी की निकासी के लिए पूर्व में पाइप

रखने का आश्वासन दिया गया पर जानबूझ कर वैसा नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ पर पिछले पांच सात वर्षों में हरित पाटशाहा अभियान के तहत नोडल स्कूल होने से शहर के भामाशाहों के सहयोग से यहाँ पर हर्बल

वाटिका तैयार करायी गयी पर हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों ने लापरवाही से उस पर पानी फेर दिया है। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि अब भी समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो स्कूल विद्यार्थी व शहरवासी

मिलकर हाउसिंग बोर्ड अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करेंगे। उन्होंने बताया कि इस समस्या से शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अलावा स्थानीय उपखंड प्रशासन व जिला प्रशासन को अवगत करा दिया गया है।

## राशिफल शुक्रवार 22 जुलाई, 2022



पंडित अनिल शर्मा

आज भद्रा रात्रि 10:30 से दिन 11:28 तक रहेगी। सायन सिंह में सूर्य प्रवेश रात्रि 1:37 पर होगा। महापात योग रात्रि 1:50 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:31 तक, लाभ-अमृत 7:31 से 10:52 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:36 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:17

सावन मास, कृष्ण पक्ष, नवमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत् 2079, भरणी नक्षत्र सांय 4:25 तक, शूल योग दिन 12:30 तक, गर करण दिन 9:33 तक, चन्द्रमा आज रात्रि 11:02 से वृष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरु-मीन, शुक-मिथुन, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज भद्रा रात्रि 10:30 से दिन 11:28 तक रहेगी। सायन सिंह में सूर्य प्रवेश रात्रि 1:37 पर होगा। महापात योग रात्रि 1:50 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:31 तक, लाभ-अमृत 7:31 से 10:52 तक, शुभ 12:33 से 2:14 तक, चर 5:36 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 5:50, सूर्यास्त 7:17

**मेघ**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। आवश्यक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

**वृष**  
चर-गृहस्थी के खर्चों में आवश्यक वृद्धि होगी। परिवाहिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मित्रों/रिश्तेदारों से वाद-विवाद टालना ठीक रहेगा। स्वास्थ्य संबंधित मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**मिथुन**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक प्रतियोगिता बढेगी।

**कर्क**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक अडचन दूर होने लगेगी। व्यावसायिक कार्यों का शीघ्र क्रियान्वयन होगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

**सिंह**  
व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा।

**कन्या**  
आर्थिक/वित्तीय मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। धन प्राप्त होगा। अटक हुए कार्यों में विलम्ब हो सकता है। यात्रा टालना ठीक रहेगा। यात्रा में दुर्घटना का भय है।

**तुला**  
व्यावसायिक संपर्क बढेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। नवीन कार्यों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में अतिथियों का आगमन रहेगा।

**वृश्चिक**  
व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सुसंदेश प्राप्त होगा। अटक हुए व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होगा।

**धनु**  
परिजनों के व्यवहार के कारण दु:ख हो सकता है। मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दृढिवा बनी रहेगी। व्यावसायिक मामलों में लापरवाही ठीक नहीं रहेगी।

**मकर**  
घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढेंगी। अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित अडचन दूर होने लगेगी।

**कुंभ**  
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होगा। परिचितों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी और व्यावसायिक कार्यों में सुधार होगा। वाणी पर विवेक रखना ठीक रहेगा।

**मीन**  
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बने लगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाणी पर विवेक रखना ठीक रहेगा।